

मूल वाद में डिग्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, इइ  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) मौखमपुरा  
पीठासीन अधिकारी श्री प्रिलोक-चन्द शीमा

गोविन्द राम, रामेश्वर लाल  
पि० जगदेव कौमजार

उनवान  
बनाम

अंवर लाल काँठ

वाकत

दस्ता नम्बर :-

दोषदा  
34/2018

प्रेष दिनांक :-

24/5/2018

वादी की ओर से

स्वयं

उपरिस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24/5/18 को

की व प्रतिवादी की ओर से स्वयं

उपरखण्ड अधिकारी इइ

के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता

और डिग्री दी जाती है कि -

ग्राम मौखमपुरा के ख.न. 59, 61, 62, 64 किता 4 ख.वा 629 हेक्टर में र्ज स्वतिसर  
श्रीशंकर पुत्र हरिनारायण हि. 1/4 के स्थान पर गोविन्द राम, रामेश्वर लाल पि० जगदेव कौम  
र हि. 1/8 व श्रीशंकर पुत्र हरिनारायण हि. 1/8 व ग्राम सीतारामपुरा के ख.न. 132, 133, 134,  
135, 136, 137, 138, 139 किता 8 ख.वा 854 हेक्टर रूपूर पर गोविन्द राम, रामेश्वर लाल पि०  
जगदेव कौम जार हि. 1/2 विमला देवी ध. प. सुरेश कुमार, हेसा पुत्री सुरेश कुमार, कमिल  
रीना, मीना सीमा भोनिमा पुत्रिया सुरेश कुमार, मन्ना पुत्र सुरेश कुमार (नाकालिग कोसल

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 24/5/2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी



(  
सहायक कलक्टर

उप (फास्ट ट्रैक) सूच  
पदेन सहायक कलक्टर

पदेन सहायक कलक्टर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	